



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166993

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7785**

**सन् 2026**

धीर उर्फ धीरज और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

शिवांगी भारद्वाज, सुनील वशिष्ठ

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 274 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 191(2), 126(2), 74, 75, 76, 3(5), 115(2), 110, 351(2) बीएनएस, थाना - मोदी नगर, जिला - गाज़ियाबाद में आवेदकगण की ओर से दायर की गई है। इसमें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच नामजद अभियुक्तों और दो अज्ञात महिलाओं के

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



विरुद्ध दर्ज की गई है, जिन्हें सह-अभियुक्त हर्ष की बहनें बताया गया है। दो अज्ञात व्यक्तियों को हर्ष का मित्र बताया गया है तथा 6 से 8 अन्य व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो 3 मोटरसाइकिलों पर सवार बताए गए हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 सह-अभियुक्त हर्ष के पिता हैं। याचिकाकर्ता संख्या 2 सह-अभियुक्त हर्ष के चाचा हैं। आवेदकगण की भूमिका के बारे में कोई खास बात नहीं बताई गई है और उन्हें सह-अभियुक्त हर्ष के परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रकरण में फंसाया गया है। घायलों को आई चोटों में से किसी को भी गंभीर या जानलेवा नहीं माना गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक पर लगाए गए आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। आवेदकगण को गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है और उनकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 110 बीएनएस के तहत अपराध 'सत्र न्यायालय' द्वारा विचारणीय अपराध है और आवेदकगण को गिरफ्तारी की गंभीर आशंका है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. बताया गया है कि आवेदक, सह-अभियुक्त हर्ष के पिता और चाचा हैं। घायल चंचल के बयान के अनुसार, विवाद हर्ष और घायल व्यक्ति के बीच का प्रतीत होता है। लगी चोटों को गंभीर या जानलेवा नहीं माना गया है। आवेदकगण का प्रकरण सह-अभियुक्त हर्ष के प्रकरण से अलग है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। न्यायालय की राय में, आरोपों की प्रकृति और अभियुक्तों की संख्या को देखते हुए, ज़रूरत से ज्यादा लोगों को फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

8. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. यदि आवेदकगण **धीर उर्फ धीरज और लखीराम** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी जरूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होंगे।
- ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
- iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उसे डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

सचिन